**भारत सरकार**

**रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय**

**औषध विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3244**

**दिनांक 23 मार्च, 2018 को उत्‍तर दिए जाने के लिए**

**कंपनियों द्वारा हैपेटाइटिस सी की दवाओं के लिए अधिक मूल्य वसूला जाना**

**3244. श्री आनन्द शर्मा:**

 क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भेषज कंपनियां हैपेटाइटिस सी विषाणु के इलाज के लिए प्रयुक्त होने वाली औषधियों के लिए अधिक मूल्य वसूल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा निर्धारित मूल्य क्या है और हैपेटाइटिस सी के इलाज के लिए बिकने वाले टेबलेट पर वास्तविक रूप से विभिन्न कंपनियों द्वारा कितना मूल्य वसूला जा रहा है; और

(ग) सरकार द्वारा इस दवा के लिए अत्यधिक कीमत वसूलने वाली दवा कंपनियों को विनियमित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय; जहाजरानी मंत्रालय और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख एल. मांडविया)**

(क) से (ग): जी, हां। छ: औषध कम्पनियों ने सोफोस्बुवीर – 400 एमजी एवं वेलपटासवीर–100 एमजी गोलियों के लिए मूल्य अनुमोदन के लिए आवेदन किया है और साथ-साथ अपने सम्मिश्रण की शुरूआत राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) से पूर्व मूल्य अनुमोदन लिए बिना ही कर दी है। एनपीपीए ने दिनांक 23.11.2017 के अपने सा.आ. संख्या 3727(अ) के माध्यम से इन छ: औषध कम्पनियों के लिए सोफोस्बुवीर – 400 एमजी एवं वेलपटासवीर – 100 एमजी के 28 गोलियों के पैक का खुदरा मूल्य 15625/- रुपए (जीएसटी रहित) निर्धारित किया है जो कि स्वीकार्य एमआरपी 17500/- रुपए के समकक्ष है। इनमें से पांच औषध कम्पनियों ने 28 गोलियों के लिए 18500/- रुपए के एमआरपी पर अपने सम्मिश्रण को शुरू किया है। एनपीपीए ने सभी पांचों औषध कम्पनियों को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया है। कारण बताओ नोटिस के आधार पर तीन औषध कम्पनियों ने ब्याज सहित अतिप्रभारित राशि को पहले से ही जमा कर दिया है। शेष दो कम्पनियों को मांग पत्र जारी कर दिए गए हैं।

\*\*\*\*\*